को उसकी कब्जाकाश्त खातेदारी की उक्त आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल न करें, ना कब्जा करें, ना ही किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करें, पाबन्द रहे। वकील वादी की बहस का ध्यानपूर्वक मनन करने एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन करने पर यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण विवादित आराजी ख0नं0 351/0.46, 352/0.43, 353/0.38, 354/0.35 एवं मूल ख0नं0 359 से बना ख0नं0 359/733 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम बावद, तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत हाल दर्ज रिकॉर्ड प्रविष्टियों में से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादी को आराजी ख0नं0 351/0.46, 352/0.43, 353/0.38, 354/0.35 एवं मूल ख0नं0 359 से बना ख0नं0 359/733 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम बावद, तहसील मुण्डावर जिला अलवर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वाद दायरी से आज तक की अवधि में हुये समस्त बैयनामों को शून्य करार दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी को अपनी कब्जाकाश्त खातेदारी की उक्त आराजी से जबरन बेदखल न करें, ना कब्जा करें, ना ही किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करें, ना ही उपरोक्त गलत इन्द्राजात की आड़ में दीगर जगह किसी भी प्रकार से मुन्तकिल ही करें, पाबन्द रहे। हाल राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद हेतु तहसीलदार, मुण्डावर को अहकाम जारी हो। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

05.02.18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner